न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 771/2016

1. गुरचरण सिंह पुत्र टेकसिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री एम.एल. माहर अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या एक

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 20.09.2016

प्रार्थी गुरचरणसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी जम्वत् 2053–2056 वाके चक 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगगांनगर का खाता संख्या 61/60 का मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 24.15 बीघा नहरी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि हरनेकसिंह, प्रीतमसिंह, गुरनामसिंह, टेकसिंह, सुरजीतसिंह पिसरान श्री चनणसिंह व मु. श्याम कौर बेवा श्री जैरनेलसिंह के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज कागजात माल थी श्री हरनेक सिंह के देहान्त के पश्चात उक्त वर्णित भूमि जरिये वसीयत निरमलसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह के नाम दर्ज हो गई।

इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 बनी जिसमें सहवन से उक्त वर्णित रकबा वाके चक 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 61/60 का मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 6.260 नहरी भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि निरमलसिंह पुत्र प्रीतमसिंह के नाम से 5/12 हिस्सा भूमि टेकसिंह, सुरजीतसिंह पिसरान चननसिंह व मु. श्याम कौर बेवा श्री जरनैलसिंह के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई, इस जमाबन्दी में सहवन से प्रीतमसिंह व गुरनामसिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–7072 के खाता संख्या 42/41 में यही स्थिति चली आ रही है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबि रिपोर्ट जमाबन्दी सम्वत् 2057 में जमाबन्दी तैयार करते वक्त नामान्तरकरण संख्या 211 का अमल करते समय निर्मलसिंह पुत्र प्रीतमसिंह 1/12 प्रीतमसिंह, गुरनामसिंह, टेकसिहं, सुरजीतसिंह, पिसरान चननसिंह मु. श्याम कौर बेवा जैरनेल सिंह व हिस्सा बराबर 5/12 हिस्सा के बजाय निरमलसिंह पुत्र प्रीतमसिहं 1/12 हिस्सा टेकसिंह सुरजीतसिंह पिसरान चननसिंह श्याम कौर बेवा जैरनेलसिंह बहिस्सा बराबर 1/5 दर्ज कर दिया गया। प्रीतमसिंह गुरनामसिंह का नाम लिखनें से छोड़ दिया गया जो नामान्तरकरण संख्या 211 के अनुसार दर्ज किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 2

पत्रावली का अवलोकन किया गया गया तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में 10 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 42/41 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि में नामान्तरकरण संख्या 211 के अनुसार प्रीतमसिंह गुरनामसिंह का नाम जोड़ जानें के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर